

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में दिनांक 22.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान में निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

अवैध नशीले पाउडर के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 35 ग्राम अवैध नशीले पाउडर व 03 अदद खाली पत्ता अल्प्राजोलम टेबलेट के साथ एक अभियुक्त नाम पता लालचन्द पुत्र बुधई निवासी मलौली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 248/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 ने घायल को पहुँचाया अस्पताल – पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 3091 से कालर ने दुर्घटना होने के सम्बन्ध में सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 06 मिनट में मौके पर पहुँचकर घायल को एम्बुलेन्स से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावा भेजा गया तथा थाना दुधारा को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्ति की जान बचाई गयी। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी श्याम सुन्दर मिश्र, होमगार्ड भागीरथी सिंह, हो0चा0 शिवकुमार गौड़।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार –

- थाना महली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनो से 71000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 22-09-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनो से 71000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 22-09-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 21 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 61 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।